पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को अर्पित की गयी विनम्र श्रद्धांजलि

श्रावस्ती 21 अक्टूबर (भि0टा0सं0)। पुलिस स्मृति दिवस–2024 के अवसर पर पुलिस लाइन्स श्रावस्ती द्वारा पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल पर अपने कर्तव्य पथ पर अपने जीवन की आहुति देने वाले जांबाज पुलिसकर्मियों को श्रद्धा–सुमन पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गयी।

अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव नें पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर गत वर्ष पुलिस समेत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 214 अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की कानून–व्यवस्था, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हमारे शूरवीरों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस के 02 जवान ड्यूटी के दौरान कर्तव्य–परायणता और अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहादत प्राप्त की. देश इन वीरों का सदैव ऋणी रहेगा, उन्होंने कहा कि इन जांबाज जवानों का सर्वोच्च बलिदान खाकी पहनने वालों के लिए प्रेरणा है,शहीद पुलिसकर्मियों के साहस और बलिदान को सलाम करते हुए उन कर्मवीरों को भी श्रद्धांजलि दी। समारोह में शहीदों की वीरता और बलिदान को सम्मानित करते हुए पुष्प चक्र अर्पित किए गए। शहीदों की स्मृति में मौन रखा गया और उनके साहसिक कार्यों को याद किया गया। इन शहीद पुलिसकर्मियों ने समाज की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अदम्य साहस दिखाया,उनकी कर्तव्यनिष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। तत्पश्चात क्षेत्राधिकारी नगर श्री सन्तोष कुमार, क्षेत्राधिकारी यातायात श्री आलोक कुमार सिंह,प्रतिसार निरीक्षक श्री अखिलेश कुमार व समस्त थाना प्रभारी० शाखा प्रभारी सहित काफी संख्या में अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा श्रृद्धा–सुमन अर्पित कर शहीदों को श्रृद्धांजलि दी गयी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। आज से 65 वर्ष पूर्व अक्टूबर,1959 में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में के0रि0पु0बल की एक छोटी टुकड़ी के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिये थे तभी से प्रति वर्ष 21 अक्टूबर को देश के कोने–कोने में दिवंगत शूरवीरों की स्मृति में पुलिस शहीद दिवस पर परेड़ का आयोजन किया जाता है। इन वीरों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परम्पराओं का प्रतीक है तथा कर्तव्यनिष्ठा का अनुपम आदर्श प्रस्तुत करता है। 1959 में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में शहीद हुए 10 पुलिसकर्मियों की याद में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है।

एएसपी की अध्यक्षता में एएचटीयू की बैठक संपन्न

श्रावस्ती, 21 अक्टूबर (तरूणमित्र)। अपर पुलिस अधीक्षक ने सर्वप्रथम मीटिंग में उपस्थित पदाधिकारीगण से परिचय प्राप्त कर फीडबैक लिया। तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक ने महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी (रडढ) अनुसंधान, थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशामुक्ति आभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैगिंक समानता, नारी शक्ति के संबंध में बताया तथा यह बताया कि यदि किसी बाल अपचारी द्वारा कोई घटना कारित की जाती है तो अधिनियम में दिए गए प्रावधानों

के अनुसार ही कार्यवाही अमल में लायी जाए। सभी बाल कल्याण अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर सरकार द्वारा बाल श्रम के विरूद्ध चलायी जा रही योजनाओं के बारे में जनमानस को जागरूक करने हेतु बताया गया, जिससे योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाया जा सके। इस बैठक में समस्त बाल कल्याण अधिकारियों को मिशन शक्ति 5 के विशेष रूप से महिलाओं/बच्चों के संबंध में संचालित विभिन्न अभियानों जैसे बचपन,खोज, डिस्ट्रॉय,नशा मुक्ति एवं रक्षा आदि के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। ऑपरेशन बचपन के तहत बाल तस्करी, बाल शोषण और बच्चों की गुमशुदगी के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही, ऑपरेशन खोज के माध्यम से गुमशुदा बच्चों की तलाश और उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं इसके अलावा, डिस्ट्रॉय नशा मुक्ति अभियान के तहत नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से बच्चों को बचाने के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और किशोरों में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना और उन्हें इस खतरे से दूर रखने के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।

साथ ही यह भी निर्देश दिया कि बाल कल्याण अधिकारी प्रत्येक क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाएं, जिसमें स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों, और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा, रमिशन शक्ति 5 के तहत यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज के हर वर्ग तक पहुँचें और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। यूनीसेफ अध्यक्ष देवीपाटन मण्डल डॉ0 अनिल द्विवेदी ने किशोर न्याय अधिनियम-2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने के 24 घण्टे के अन्दर उहउ को सूचित करना, पोक्सो के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरा जाना, बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन, जे0जे0 एक्ट के अन्तर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, जे0जे0 एक्ट की धारा 94 आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की। उक्त बैठक प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटीयू मो0 दानिश आजम, प्रभारी यातायात पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।